



22/1/18  
 पत्रावली तब तक नहीं गई। राजस्व लोक अदालत अभियान "स्वायं आयुक्तों द्वारा-2018" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पत्रावली को संशोधित किया जाकर पत्रावली कोमल कोमल (18/1/18) दिनांक.....12/1/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
 (SDO) मावली

12/1/18  
 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोमल में पेश हुई। वादी/विपक्षी/रिस्पो उपस्थित रहे। प्रकरण को रजिस्ट्रार पर निर्धारित किया जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को न्यायालय राजा में पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
 (SDO) मावली

18/1/18  
 पत्रावली पेश हुई। वकालत प्राथा/अपलाप्ट/विपक्षी/विपक्षी/रिस्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/भिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 20/1/18 को पेश हो।

20/1/18  
 पत्रावली पेश हुई। वकालत प्राथा/अपलाप्ट/विपक्षी/विपक्षी/रिस्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/भिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 17/1/19 को पेश हो।

17/1/19  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व वादीया व/मायके डिलवार्ड वार्ड मनु. की मतः अनुपस्थित रहने पर वाड वादीया मरुत हाफली/मरुत पंरवी व/वादि किया जाता है।  
 पत्रावली कोमल (18/1/18) से इस को निर्णय पुनः मरुत मरुत



सहायक कलेक्टर  
 (SDO) मावली